न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी :– कमर चौधरी
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 50/2023

जीआईसी हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड शाखा कार्यालय 403–404, चतुर्थ तल, गणपति प्लाजा, एक0आई0 रोड, जयपुर राज0 जरिये प्राधिकृत अधिकारी

...प्रार्थी कंपनी/सिक्योर्ड क्रेडिटर

बनाम

श्री रईस खान,
वार्ड नंबर 26, सागर मौहल्ला, दौसा राज0
श्री सन्दीप कुमार
प्लॉट नं0 बी–29, बरकत नगर विस्तार, टोंक रोड, जयपुर राज0
मोहम्मद आरिफ पुत्र श्री नामालुम, पता–वार्ड नंबर 32, मौहल्ला नागौरी, छोटी मस्जिद के पास, दौसा जिला दौसा राज0 अन्य पता–ज्वैलरी रील स्टोन, वार्ड नंबर 32, दौसा जिला दौसा राज0 303303

....प्रार्थीगण/ऋणी

प्रा0 पत्र अंतर्गत धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाइनेन्शियल एसेटस एण्ड एनफोर्समेंट सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट, 2012 बंधक संपत्ति का कब्जा सुपुदर्गी बाबत।

उपस्थित : श्री गुंजन व्यास, अधिवक्ता प्रार्थी।

आदेश

दिनांकः 21.07.2023

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी जीआईसी हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड द्वारा ऋणी/सह ऋणी को रूपये 2,00,000/– (रूपये दो लाख मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया। अप्रार्थी ऋणी/सह ऋणी को बैंक का ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने एवं समाचार पत्रों के माध्यम से सूचित किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त हेतु **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

.....निरंतर 2 पर

जिला कलेक्टर,दौसा

प्रार्थना पत्र सं0 50/2023

अधिवक्ता प्रार्थी जीआईसी हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड को सुना गया। हमने प्रार्थी जीआईसी हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र का अवलोकन किया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी जीआईसी हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही कर उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणीगण को रजिस्टर्ड नोटिस एवं समाचार पत्रों के माध्यम से सूचित किये जाने के बावजूद ऋण राशि का शर्तो के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act. 2002** की धारा 14 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र के अनुसार बंधक रखी गई सम्पत्ति के समस्त अंश व खंड श्री रईसा खान की आवासीय संपत्ति वार्ड नंबर 26, सागर मौहल्ला दौसा में स्थित संपत्ति (बैंक में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार क्षेत्रफल 95.56 वर्ग गज) जिसकी सीमाएं पूर्व में गली, पश्चिम में रास्ता, उत्तर में अन्जू खां, दक्षिण में रास्ता स्थित है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी जीआईसी हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड को किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो, नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार हो एवं नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 19 जुलाई, 2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर,दौसा

जिला कलेक्टर,दौसा

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा